सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

जिला–चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँ, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 35/2022 प्रार्थना पत्र — दर्ज तिथि : 24.02.2022

1. श्री मांगीलाल पिता शंकरलाल जाति धाकड आयु 60 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।
2. श्री जगदीश पिता शंकरलाल जाति धाकड आयु 58 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।
3. श्री बद्रीलाल पिता शंकरलाल जाति धाकड आयु 55 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।
4. श्री किशनलाल पिता शंकरलाल जाति धाकड आयु 48 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।
5. पार्वतीबाई पिता शंकरलाल जाति धाकड आयु 50 वर्ष निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।

................प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल बीर जाति धाकड आयु 80 वर्ष निवासी मेलाना तहसील निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़ राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़

..............विपक्षीगण

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता :– श्री रामेश्वरलाल
विपक्षी नम्बर 1 अधिवक्ता :– श्री योगेन्द्र सोलंकी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–:निर्णय:–

निर्णय तिथि : 17.08.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:30 IST
Reason: SelfAttested

1. आज यह पत्रावली प्र[illegible] धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु [illegible] हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि ग्राम मेलाना [illegible] साबिक आराजी नम्बर 1150/29 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है [illegible] नये [illegible] अनुसार आराजी [illegible] 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर है। पुष्टि में जमाबंदी [illegible] वर्तमान, साबिक जमा[illegible] नकल एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई। उपरोक्त [illegible] आराजी प्रार्थीगण के पिता श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल जी धाकड निवासी मेलाना को उपजिलाधीश महोदय, निम्बाहेड़ा द्वारा दिनांक 06.12.1972 को आवंटित हुई जो कि मूल साबिक आराजी नम्बर 1150 में से 4 बीघा भूमि आवंटित होकर मौके पर कब्जा भी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

प्रार्थीगण के पिता को सुपुर्द किया गया। इसका नामान्तरण संख्या 429 भी दिनांक 16.12.1973 को स्वीकृत हुआ तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शा में भी उक्त आराजी नम्बर 1150 / 29 तरमीम हुई। प्रार्थीगण के पिता के नाम पर जमाबंदी संवत 2036 से 2039 व 2040 से 2044 में गैर खातेदारी से दर्ज हुई व उसके बाद संवत 2045 से 2048 में उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज करने की स्वीकृति हुई। तब तक जमीन प्रार्थीगण के पिता के नाम पर दर्ज चली आ रही थी।

2. इसके बाद रोटेशन जमाबंदी संवत 2049 से 2050 तैयार करते समय गांव में एक ही नाम के दो व्यक्ति एक ही जाति समाज के होने से एवं उनके पिता का नाम भी एक ही होने के कारण प्रार्थीगण के पिता के नाम की उक्त आवंटनशुदा जमीन भी राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि से सहवन से विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी की अन्य आराजियात के साथ ही शामिल कर दी गई, जबकि विपक्षी संख्या 1 की गौत्र बीर है तथा प्रार्थीगण के पिता की गौत्र गुलगामा हैं जो कि धाकड जाति की ही गौत्रे हैं तथा शंकरलाल पिता प्रभलाल धाकड नाम के दो व्यक्ति हैं, इस तथ्य की जानकारी राजस्व कर्मचारियों ने प्राप्त नहीं की जिस कारण उक्त त्रुटि हो गई और प्रार्थीगण के पिता की जमीन विपक्षी संख्या 1 के खाते में दर्ज हो गई और प्रार्थीगण के पिता की जमीन विपक्षी संख्या 1 के खाते में दर्ज हो गई जिसे शुद्ध किया जाकर पुनः उक्त आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर प्रार्थीगण के पिता के नाम पर दर्ज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीगण के पिता व माता जगन्नाथीबाई का स्वर्गवास हो गया हैं तथा उक्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज होकर उपयोग उपभोग एवं काश्त करते चले आ रहे हैं इसलिये यह कार्यवाही उनके वारिस प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थीगणों ने ग्राम मैलाना, पटवार मण्डल मैलाना की नवीन आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि जो कि विपक्षी संख्या 1 के नाम सहवन से दर्ज हो गई उसको पुनः प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। भूमिधारी तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की गई जो कि शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली पर उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दोहराते हुए ग्राम मैलाना की वर्तमान आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक : राजस्व / 2023 / 117 दिनांक 21.07.2023 द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट प्रेषित करते हुए उसमें अंकित किया गया है कि '' ग्राम मैलाना के राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2077–2080 की खाता संख्या 597 में अन्य आराजियात के साथ आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड निवारी मैलाना के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 1890 के गत भू–प्रबन्ध में मिलान क्षेत्रफल / खसरा अनुसार आराजी नम्बर 1150 / 29 रकबा 4 बीघा अंकित है। जो उपजिलाधीश कार्यालय, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के द्वारा मिसल नम्बर 251 / 72 दिनांक 06.12.1972 को आवंटन किया जाकर नामान्तरण संख्या 429 से स्वीकृत होकर जमाबंदी संवत 2036 से 2039 में वादीगण के पिता के नाम गैर खातेदारी से दर्ज किया गया। बाद जमाबंदी रोटेशन संवत 2045 से 2048 [illegible] 1179 / 20.05.1992 से खातेदार हक प्रदत्त किया गया एवं उक्त आवंटित [illegible] राजस्व रेकार्ड नक्शा में तरमीम का अंकन है। यह कि ग्राम [illegible] शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड के नाम से एक अन्य व्यक्ति भी था। [illegible] का नाम, जाति व सकूनत होने की वजह से सहवन [illegible] का खाता जमाबंदी लेख में शामिल कर दिया। जिसमें से एक खातेदार श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड की मृत्यु हो चुकी है। जिसकी गौत्र गुलगामा है के वारिस प्रकरण में वादीगण है एवं एक खातेदार श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड जो जीवित है प्रकरण में प्रतिवादी हैं जिसकी गौत्र बीर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

है। प्रकरण में विचाराधीन कृषि भूमि आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर पर वादीगण का कब्जा काश्त आज दिनांक तक निर्विवाद होकर आवंटन समय से ही बरकरार है। इसलिए प्रश्नगत आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर को प्रतिवादी श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड (बीर) के बजाय वादीगण श्री मांगीलाल, जगदीश, बद्रीलाल, किशनलाल, पार्वतीबाई पिता शंकरलाल धाकड निवासी मैलाना के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है इसलिए उक्त आराजी को वादीगण के पिता शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड गौत्र (गुलगामा) के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

4. साथ ही प्रतिवादी क्रमांक 1 ने दिनांक 21.07.2023 को अपना जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसमें अंकित किया गया हैं कि '' प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी मौजा मेलाना, पटवार हल्का मेलाना तहसील, निम्बाहेडा में स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित तथ्य सही है। उक्त आवेदन में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल जी धाकड निवासी मेलाना को उपजिलाधीश महोदय, निम्बाहेडा द्वारा आवंटित होना स्वीकार है जिसके साबिक आराजी नम्बर 1150 में से 4 बीघा भूमि आवंटित होना स्वीकार व मौके पर कब्जा भी प्रार्थीगण के पिता को सुपुर्द करना स्वीकार तथा इसका नामान्तरण संख्या 429 स्वीकृत होना स्वीकार व इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में भी उक्त आराजी नम्बर 1150/29 तरमीम होना स्वीकार तथा जमाबंदी में भी प्रार्थीगण के पिता के नाम पर खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है। इसलिये उक्त जमीन प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की होने से प्रार्थीगण के नाम पर या उनके पिता के नाम पर उक्त जमीन दर्ज किये जाने में मुझ विपक्षी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है।

4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

5. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के [illegible] इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कि[illegible]त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:30 IST
Reason: SelfAttested

6. मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात अनुसार कार्यालय उप जिलाधीश, निम्बाहेडा के मिसल

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी • निम्बाहेड़ा (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

नम्बर 251/72 दिनांक 6.12.1972 द्वारा ग्राम मेलाना की साबिक आराजी नम्बर 1150 में से 4 बीघा भूमि श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड निवासी मेलाना को आवंटित हुई। ग्राम मेलाना की साबिक नामांतरण संख्या 429 द्वारा उक्त आवंटित भूमि शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड निवासी मेलाना के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की गई। साबिक जमाबंदी संवत 2036–2039 की खाता संख्या 399 एवं संवत 2040–2043 की खाता संख्या 437 में उक्त आराजी आवंटित के नाम गैर खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी संवत 2044–2047 की खाता संख्या 533 में उक्त आराजी आवंटित के नाम दर्ज रिकार्ड होकर नामांतरण संख्या 1179 दिनांक 28.05.1992 से खातेदारी प्रदान करने का नोट अंकित है। इसी संवत की जमाबंदी संवत 2044–2047 की खाता संख्या 270 में आराजी नम्बर 296, 301, 819, 822 कुल किता 4 कुल रकबा 7–09 बीघा भूमि श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड हैं यह शंकरलाल नाम का व्यक्ति प्रार्थना पत्र में वर्णित अनुसार प्रार्थीगण के पिता नहीं है। जमाबंदी के नवीन रोटेशन 2048–2051 की खाता संख्या 315 में आराजी नम्बर 296, 301, 819, 822 के साथ ही प्रार्थीगण के पिता की आराजी नम्बर 1150/29 भी दर्ज रिकार्ड होकर कुल किता 5 कुल रकबा 11–09 बीघा भूमि दर्ज है। इस प्रकार ग्राम मैलाना में दो व्यक्ति एक ही नाम/पिता का नाम/जाति/निवासी होने के कारण वक्त रोटेशन पटवारी हल्का द्वारा दोनों खातों को संयुक्त रूप से दर्ज कर दिया गया। मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी नम्बर 1150/29 रकबा 4 बीघा के नवीन आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर बने होकर वर्तमान में श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि प्रार्थीगण के पिता नहीं होकर दूसरा शंकरलाल है। साथ ही पत्रावली में रजिस्ट्रार जन्म–मृत्यु पंजीयन, ग्रा.पं. सरसी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति संलग्न है जिसमें शंकरलाल पिता प्रभुलाल धाकड की मृत्यु दिनांक 06.08.1995 होना अंकित है। इससे भी प्रतीत होता है कि ग्राम मैलाना में तत्समय शंकरलाल नाम के दो व्यक्ति एक ही नाम/पिता का नाम/जाति/निवासी मौजूद थे। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में इसकी पुष्टि करते हुए वर्तमान आराजी नम्बर 1890 को शंकरलाल पिता प्रभुलाल (गुलगामा) धाकड के नाम दर्ज करने की अनुशंषा की है। विपक्षी नम्बर 1 शंकरलाल पिता प्रभुलाल (बी[illegible]) धाकड ने भी अपने जवाब दावा में आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर [illegible] शंकरलाल पिता प्रभुलाल (गुलगामा) धाकड को आवंटित एवं खातेदारी [illegible] हुए वर्तमान में उक्त भूमि पर शंकरलाल के वारिसान का कब्जा काश्त होना एवं उक्त आराजी को प्रार्थीगण के पिता शंकरलाल पिता प्रभुलाल (गुलगामा) के नाम पर पृथक खातेदारी में दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की है साथ ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:30 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी • निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

निवेदन किया है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य साबिक रिकार्ड से साबित होने, प्रकरण में तहसीलदार, निम्बाहेडा की अनुशंषा होने एवं विपक्षी नम्बर 1 द्वारा भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन करने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पर्याप्त दस्तावेजीय सबूतों एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की अनुशंषा तथा विपक्षी क्रमांक 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को सत्य एवं सही मानने के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। ग्राम मैलाना की आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.86 हैक्टेयर पूर्व मूल खातेदार श्री शंकरलाल पिता प्रभुलाल (गुलगामा) धाकड सा. देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 17.08.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:13:30 IST
Reason: SelfAttested